Statement

(figures in crores of rupees)

Railways	Year 1977-78	Year 1978-79	Year 1979-80
Central	358·79	365·02	411·34
Eastern	244·48	234·88	255·60
Northern	336·54	333·22	370·98
North Eastern	87·80	88·67	94·22
Northeast Frontier	64·75	65·72	64·30
Southern	149·50	156·37	173·39
South Central	189·54	197·96	216·14
South Eastern	372·10	357·02	376·92
Western	315·43	330·94	385·08
Total	2118·93	2138 80	2347·97 (A)

(A) These figures include actuals for the period from April/79 to February/80 and approximates for the Month of March/80 as account for the year have not yet been closed finally.

Priority for New Railway Lines for hilly and Backward Areas

1406. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission and the Government of India have accorded any priority and adopted a liberal approach in the constuction of new railway lines for hilly and the backward areas by relaxing the criteria of remunerative return for these projects in such areas;

(b) if so, the names of the hilly States/regions in which such railway lines have been surveyed/sanctioned/constructed during the last decade along with the names of the railway lines surveyed/sanctioned/construced; and

(c) if not, the reasons therefor, keeping in view that the railway lines constitute the basic infrastructure for economic progress in general and industrial development in particular?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). The National Transport Policy Committee, appointed in April, 1978. to evolve a ratonal polciy for constructon of new lines including lines in backward areas, has recently submitted its report to the Planning Commission.

This report is under examination of the Planning Commission.

कैंसर के मामलों में वृद्धि

1407. **श्री तारिक अनवर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कैंसर के मामलों में हो रही वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कैंसर से लगभग कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) कैंसर के इलाज की सुविधाएं बहुत से प्रमुख अस्पतालों, मेडिकल कालेजों तथा विशिष्ट संस्थाओं में उपलब्ध हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कैंसर अनुसंधान तथा उपचार कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अंग हैं (1) कैंसर अनुसंधान और उपचार के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना, (2) कोबाल्ट थेरापी यूनिट लगाने के लिए राज्य सरकारों/संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता देना, (3) कैंसर का आरम्भ में पता लगाने वाले केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता देना ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने तीन क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्रों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनमें से पहला केन्द्र दक्षिणी क्षेत्र के लिए कैंसर संस्थान, मद्रास में है, दूसरा पूर्वी क्षेत्र के लिए चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में तथा तीसरा उत्तरी क्षेत्र के लिए रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में है।

12 राज्य सरकारों/संस्थाओं को कैंसर के रोगियों को विकिरण उपचार की व्यवस्था करने के लिए कोबाल्ट थेरापी यूनिट स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैंसर का आरम्भ में पता लगाने वाले केन्द्र स्थापित करने के कार्य में केन्द्रीय सहायता देने के लिए हाल ही में एक योजना को मंजूरी दी है।

(ख) कैंसर सूचनीय रोग नहीं है। इसलिए कैंसर से हुई मौतों के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी मोटे अनुमान के अनुसार भारत में प्रति वर्ष कैंसर से 5 लाख लोग मरते हैं।

नकली औषधियों का निर्माण

1408. **श्री कृष्ण चन्द्र पण्डे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ फर्में नकली औषधियों का निर्माण कर रही हैं और यदि हां, तो पता लगाई गई ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं तथा 1979-80 के दौरान नकली औषधियों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनके प्रति सरकार का रुख क्या है; और क्या सरकार का विचार ऐसी फर्मों/व्यक्तियों को कठोर सजा देने के लिए कार्यवाही करने का है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) राज्य सरकारों से यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार का सदा से यह विचार रहा है कि नकली दवाइएं बनाना और बेचना एक समाज विरोधी कार्य है और इस कार्य को जो लोग करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तदनुसार 1964 में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि कतिपय गलत ब्रांड वाली दवाओं (जिनमें नकली दवाएं आ जाएंगी), मिलावटी दवाओं और इस अधिनियम के अधीन वैध लाइसेंस के बिना बनाई जाने वाली दवाओं से सम्बन्धित अपराधों के लिए कड़े दण्डों की व्यवस्था की जा सके। इन अपराधों के लिए कारावास का दण्ड रखा गया है। जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में जुर्माना भी किया जा सकता है। तथापि न्यायालय को ये शक्तियां दे दी गई हैं कि वह अपने विवेक पर विशेष कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करते हुए एक वर्ष से कम कारावास की सजा दे सकता है।

Behaviour of Doctors of AIIMS, New Delhi towards patients

1409. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether Government are aware that attitude/behaviour of doctors of AIIMS, New Delhi towards patients is harsh;

(b) whether there are any instructions or guidelines to the doctors for their behaviour towards patients and if so, the details thereof; and

(c) what action Government propose to take in this behalf?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) The A.I.I.M.S. has informed that the behaviour of their doctors towards the patients is not harsh or discourteous;.

(b) There are no instructions in this regard from the Government to the Doctors of the Institute. However, the Institute has informed that during the course of teaching at the undergraduate and post-graduate levels